RNI No. GUJHIN/2011/39228

# गरवी गुजरात

GARVI GUJARAT

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 282
दि. 13.02.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

# आरटीआई पर बढ़ी सख्ती: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बड़े मंत्रालयों ने हजारों आवेदन ठुकराए

**जीएनएस)।** सूचना का अधिकार कानून को लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है। यह कानून नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने और जवाब पाने का संवैधानिक आधार देता है। वर्ष 2005 में लागू हुआ यह अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। लेकिन हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट ने एक ऐसी तस्वीर सामने रखी है जो चिंताजनक भी है और विचारणीय भी। रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में देश के कई बड़े सरकारी संस्थानों—जिनमें सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और गृह मंत्रालय जैसे शीर्ष निकाय शामिल हैं—ने बड़ी संख्या में आरटीआई आवेदनों को खारिज किया। यह तथ्य इस बहस को फिर से जीवित करता है कि क्या सूचना मांगना वास्तव में आसान है या यह प्रक्रिया आम नागरिक के लिए लगातार जटिल होती जा रही है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राप्त कुल आवेदनों में से 22.88 प्रतिशत को अस्वीकार कर शीर्ष 20 संस्थानों में सबसे अधिक अस्वीकृति दर दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने 13.73 प्रतिशत और गृह मंत्रालय ने 13.33 प्रतिशत की दर से आवेदन ठुकराए। वित्त मंत्रालय, जिसे 2.2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, ने 8.50 प्रतिशत आवेदनों को अस्वीकार किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अस्वीकृति दर 7.98 प्रतिशत और कानून मंत्रालय की 7.14 प्रतिशत रही। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां कुछ विभागों में अस्वीकृति दर अपेक्षाकृत अधिक है, वहीं कुछ मंत्रालयों ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया है। दिलचस्प बात यह है कि बड़े मंत्रालयों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पारदर्शिता के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 2,54,657 आवेदनों के भारी दबाव के बावजूद मात्र 0.14 प्रतिशत आवेदन ही खारिज किए। सड़क परिवहन मंत्रालय की अस्वीकृति दर 0.70 प्रतिशत और शिक्षा मंत्रालय की 0.74 प्रतिशत रही। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि यदि इच्छाशक्ति और प्रशासनिक दक्षता हो तो भारी संख्या में प्राप्त आवेदनों का निपटारा पारदर्शी ढंग से किया जा सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू अपीलों की बढ़ती संख्या है। वित्त मंत्रालय के खिलाफ 26,219 प्रथम अपील और 3,966 दूसरी अपील दर्ज की गईं। गृह मंत्रालय में 9,389 प्रथम और 960 दूसरी अपीलें आईं, जबकि रक्षा मंत्रालय में 16,876 प्रथम और 1,203 दूसरी अपीलें दर्ज की गईं। यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में आवेदक अपने पहले उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें अपील का सहारा लेना पड़ा। अपील प्रक्रिया समय लेने वाली और जटिल होती है, जिससे आम नागरिक के लिए सूचना प्राप्त करना और कठिन हो जाता है। अस्वीकृतियों में सबसे अधिक उपयोग आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) का हुआ, जिसे 28,924 बार लागू किया गया। यह धारा राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीय सूचना, व्यापारिक रहस्य और व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर सूचना देने से छूट प्रदान करती है। कुल अस्वीकृतियों में इसका हिस्सा लगभग 49.88 प्रतिशत रहा। धारा 24, जो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को छूट देती है, 8,251 बार लागू हुई और इसका हिस्सा 14.23 प्रतिशत रहा। धारा 11, जो थर्ड-पार्टी सूचना से संबंधित है, 519 बार और धारा 9, जो कॉपीराइट कारणों से जुड़ी है, 232 बार लागू की गई। न धाराओं का बार-बार प्रयोग यह संकेत देता है कि कई मामलों में गोपनीयता और सुरक्षा के आधार पर सूचना रोकी जा रही है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा आवश्यक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन प्रावधानों का उपयोग संतुलित ढंग से हो रहा है या कहीं इनका अति-प्रयोग तो नहीं हो रहा। पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में सूचना का अधिकार नागरिक सशक्तिकरण का प्रमुख साधन है। आरटीआई कार्यकर्ताओं का मानना है कि बढ़ती अस्वीकृतियां और अपीलों की संख्या इस बात का संकेत हैं कि सूचना तंत्र में कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है। कई बार विभाग तकनीकी आधारों पर आवेदन खारिज कर देते हैं, जैसे कि आवेदन का प्रारूप, शुल्क में त्रुटि या मांगी गई सूचना का स्पष्ट न होना। ऐसे मामलों में आवेदक को दोबारा आवेदन करना पड़ता है या अपील करनी पड़ती है, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती है। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के नागरिकों के लिए यह और भी कठिन हो जाता है। सरकारी पक्ष का तर्क है कि आरटीआई के माध्यम से कई बार ऐसी सूचनाएं मांगी जाती हैं जो या तो अत्यधिक व्यापक होती हैं या जिनका संकलन करना व्यावहारिक रूप से कठिन होता है। कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार समान प्रकार के आवेदन दायर किए जाते हैं, जिससे प्रशासनिक बोझ बढ़ता है। डिजिटल युग में सूचनाओं की मात्रा और जटिलता भी बढ़ी है, जिससे समय पर जवाब देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके बावजूद यह अपेक्षा की जाती है कि विभाग नागरिकों को अधिकतम संभव सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करें।

इस पूरी स्थिति का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जब नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती है, तो शासन पर विश्वास कमजोर पड़ सकता है। आरटीआई कानून ने पिछले दो दशकों में कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं—चाहे वह सरकारी योजनाओं में अनियमितता हो, सार्वजनिक धन के उपयोग का प्रश्न हो या प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता। इसलिए इसकी प्रभावशीलता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि समाधान के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सबसे पहले, सरकारी विभागों को स्वैच्छिक प्रकटीकरण की नीति को मजबूत करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक सूचनाएं स्वतः सार्वजनिक पोर्टलों पर उपलब्ध हों और आरटीआई आवेदन की आवश्यकता ही कम पड़े। दूसरा, सूचना अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे कानून की धाराओं की सही व्याख्या कर सकें और अनावश्यक अस्वीकृति से बचें। तीसरा, अपील प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जाए ताकि आवेदकों को वर्षों तक इंतजार न करना पड़े।

# सेना की बढ़ेगी ताकत, 114 राफेल और 6 पी-8आई विमानों की खरीद को मंजूरी; 3.25 लाख करोड़ का ऐतिहासिक रक्षा सौदा

**जीएनएस)।** नई दिल्ली। देश की सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए विशाल रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिषद ने वायुसेना के लिए 114 अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों और नौसेना के लिए 6 पी-8आई पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमानों की खरीद को हरी झंडी दिखाई है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला यह सौदा भारत के इतिहास के सबसे बड़े रक्षा समझौतों में गिना जा रहा है और इसे रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।

डीएसी की इस मंजूरी के बाद अब प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) के पास भेजा जाएगा। सीसीएस की स्वीकृति मिलते ही सौदे की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह खरीद न केवल सैन्य ताकत को बढ़ाएगी, बल्कि आने वाले दशकों तक भारत की सामरिक तैयारियों को मजबूत आधार भी देगी।

114 राफेल विमानों की खरीद भारतीय वायुसेना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्तमान में वायुसेना के पास लगभग 30 स्क्वाड्रन हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता बताई जाती है। नए राफेल विमानों के शामिल होने से वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिल सकते हैं, जिससे उसकी ऑपरेशनल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

राफेल एक बहु-भूमिका (मल्टी-रोल) लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की कंपनी Dassault Aviation ने विकसित किया है। यह विमान हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। इसकी उन्नत एवियोनिक्स प्रणाली, लंबी मारक क्षमता वाली मिसाइलें और अत्याधुनिक रडार तकनीक इसे दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में शामिल करती हैं। भारत पहले ही 36 राफेल विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है, जिन्हें पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर तैनात किया गया है।

रक्षा सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित 114 राफेल विमानों में से बड़ी संख्या में विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इससे 'मेक इन इंडिया' पहल को भी बल मिलेगा और देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन से हजारों रोजगार सृजित होने की भी संभावना है।

जहां वायुसेना को नई ताकत मिलेगी, वहीं नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी। डीएसी ने नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त पी-8आई पोसीडॉन विमान खरीदने की मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना पहले से ही 12 पी-8आई विमानों का संचालन कर रही है। इन विमानों के जुड़ने से हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी, समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी अभियानों की क्षमता और मजबूत होगी। पी-8आई विमान अमेरिकी कंपनी Boeing द्वारा विकसित किया गया है। यह लंबी दूरी की समुद्री निगरानी और एंटी-सबमरीन वारफेयर में विशेषज्ञ माना जाता है। इसकी आधुनिक सेंसर प्रणाली, रडार और मिसाइल क्षमता इसे दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों का सटीक पता लगाने में सक्षम बनाती है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक गतिविधियों को देखते हुए यह खरीद विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा सौदा भारत की दोहरी रणनीति को दर्शाता है—एक ओर वायु शक्ति को मजबूत करना और दूसरी ओर समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और पड़ोसी क्षेत्रों में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह कदम दीर्घकालिक सुरक्षा दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

3.25 लाख करोड़ रुपये का यह प्रस्ताव केवल सैन्य साजोसामान की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रखरखाव, प्रशिक्षण, हथियार प्रणालियां और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल होंगे। इससे आने वाले वर्षों में रक्षा बजट पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और आधुनिक सैन्य उपकरणों में निवेश भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है।

इस सौदे को लेकर राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। समर्थकों का कहना है कि यह निर्णय भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में और मजबूत करेगा, जबकि कुछ विश्लेषक इसकी लागत और क्रियान्वयन प्रक्रिया पर नजर रखने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

डीएसी की मंजूरी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत अपनी सैन्य तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहता। वायु और समुद्री दोनों मोर्चों पर क्षमता विस्तार का यह कदम आने वाले समय में भारत की रक्षा नीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

# हवाई अड्डों पर बर्ड हिट की घटनाओं में उछाल, आंकड़ा 1782 पहुंचा; एटीसी के 1279 पद खाली

**जीएनएस)।** नई दिल्ली। देश में विमानन सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। हवाई अड्डों पर विमानों से पक्षियों के टकराने यानी 'बर्ड हिट' की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में जहां ऐसी 1278 घटनाएं सामने आई थीं, वहीं पिछले वर्ष यह संख्या बढ़कर 1782 हो गई। गुरुवार को लोकसभा में सरकार ने आधिकारिक आंकड़े पेश करते हुए यह जानकारी दी।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित उत्तर में बताया कि पिछले पांच वर्षों में कुल 6337 बर्ड हिट की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वर्ष 2023 में 1371, 2022 में 1131 और 2021 में 775 मामले सामने आए थे। आंकड़ों से स्पष्ट है कि हवाई यातायात में वृद्धि के साथ-साथ बर्ड हिट की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, जो विमानन सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार बर्ड हिट की घटनाएं टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान अधिक होती हैं, जब विमान कम ऊंचाई पर होते हैं। हवाई अड्डों के आसपास खुले कचरे के ढेर, जलभराव और हरित क्षेत्र पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। हालांकि अधिकतर मामलों में विमान सुरक्षित लैंडिंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं में इंजन या ढांचे को नुकसान भी पहुंच सकता है, जिससे उड़ानों में देरी और आर्थिक नुकसान होता है।

सरकार ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डों पर वन्यजीवों से संभावित खतरों से निपटने के लिए विस्तृत नियम और दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत हवाई अड्डा संचालकों को बर्ड कंट्रोल उपाय लागू करने, नियमित सर्वेक्षण करने और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही सरकार ने एयर ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़ी स्थिति पर भी जानकारी दी। मंत्री मोहोल के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) के स्वीकृत 5537 पदों में से 1279 पद फिलहाल रिक्त हैं। देश में एयर ट्रैफिक प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकारी कंपनी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के पास है, जो देश की एकमात्र एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर है।

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि मैनपावर की कमी के बावजूद किसी भी प्रमुख ऑपरेशनल यूनिट को बंद नहीं किया गया है। चालू वित्त वर्ष में देश के सात ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटरों में 4320 एटीसी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इससे आने वाले समय में रिक्त पदों को भरने और संचालन व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

विमानन क्षेत्र में तेजी से बढ़ते यात्री यातायात के बीच बर्ड हिट और एटीसी कर्मियों की कमी जैसे मुद्दे सुरक्षा प्रबंधन के लिए अहम माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हवाई अड्डों के आसपास शहरीकरण और कचरा प्रबंधन की समस्याओं का समाधान किए बिना बर्ड हिट की घटनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण पाना कठिन होगा।

लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों ने यह संकेत दिया है कि विमानन सुरक्षा को लेकर सतत निगरानी और ठोस उपायों की आवश्यकता है। सरकार का दावा है कि नियामकीय दिशा-निर्देशों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जोखिम को कम करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन बढ़ती घटनाएं इस क्षेत्र में और सख्त कदम उठाने की जरूरत की ओर इशारा करती हैं।

# मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का स्पष्ट संदेश: पंजाब में अमन कानून की रक्षा के लिए सख्त व्यवस्था जारी रखी जाए

- 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' और 'गैंगस्टरां ते वार' पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकता; जड़ से खत्म करना जरूरी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- आप सरकार पंजाब में आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा कानून और व्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए सभी पुलिस कमिश्नरों, एसएसपीज़ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक
- नौजवानों को नशों से बचाने के लिए रोजगार, शिक्षा और करियर काउंसलिंग जरूरी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

**जीएनएस)।** चंडीगढ़। नशों और संगठित अपराध के खिलाफ अपनी दृढ़ स्थिति दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पूरी सीनीयर पुलिस लीडरशिप को सुरक्षा व्यवस्था सख्ती से लागू करने के आदेश देते हुए कहा कि पूरे राज्य में अमन कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

पुलिस कमिश्नरों, इंस्पेक्टर जनरल (आईजी), डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) और सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस (एसएसपी) के साथ उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' और 'गैंगस्टरां ते वार' पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं और नशों के खतरे तथा गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से खत्म करना चाहिए। समूचे समन्वय, जवाबदेही और जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष परिणामों की उम्मीद करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि 'आप' सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि जहां कानून लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, वहीं पंजाब के नौजवानों के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने तथा करियर काउंसलिंग को संस्थागत बनाने पर भी निर्भर करता है ताकि नौजवानों को नशों और अपराध का शिकार होने से बचाया जा सके। अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसी चुनौतियों का सामना करना पंजाब पुलिस की शानदार विरासत रही है और समय की जरूरत है कि राज्य से नशों के खतरे और गैंगस्टरों का खात्मा करके इस विरासत को कायम रखा जाए और इस कार्य के लिए उन सभी को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। अब तक की प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के पूर्ण समर्थन और सहयोग से राज्य सरकार की दो प्रमुख मुहिमें 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' और 'गैंगस्टरां ते वार' सफलतापूर्वक शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को नशों और गैंगस्टरों की बुराई से मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई इन दोनों मुहिमों के परिणाम शानदार रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करना समय की जरूरत है और इसके लिए हर अधिकारी को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सख्त निगरानी पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मैं रोजाना इन मुहिमों की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करता रहूंगा ताकि राज्य को नशों और गैंगस्टरों से मुक्त करना सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हरेक कर्मचारी निगरानी के अधीन है और उन्हें अच्छे ढंग से ड्यूटी करने के लिए इनाम दिया जाएगा तथा किसी भी तरह की कुताही के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। इन दोनों मुहिमों के तहत शानदार ड्यूटी के लिए पंजाब पुलिस की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिसके लिए हरेक कर्मचारी को सख्त मेहनत करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा दिल से सहयोग का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस को नवीनतम तकनीक से लैस करने के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विभाग की जरूरतों के अनुसार स्टाफ, वाहन फ्लीट और अन्य बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इरादा स्पष्ट है कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि पंजाब पुलिस किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कानून व्यवस्था की स्थिति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से, पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति देश के बाकी हिस्सों से बहुत बेहतर है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पिछली सरकारों के शासनकाल की तुलना में राज्य में एक बड़ा बदलाव आया है क्योंकि अब पुलिस फोर्स को झूठे केस दर्ज करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि वाली बात है कि राज्य सरकार द्वारा अपराधियों की कोई सरपरस्ती नहीं की जा रही। मुख्यमंत्री ने सिविल और पुलिस प्रशासन को राज्य भर में हथियारों के लाइसेंसों के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक मुहिम शुरू करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी हथियार के लाइसेंस का उपयोग किसी अपराध के लिए किया जाता है, तो जिला अधिकारी उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई पूरी तरह अनुचित है। इस मुहिम को ध्यान से योजनाबद्ध किया जाना चाहिए और बिना किसी रुकावट के लागू किया जाना चाहिए। नौजवानों को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए राज्य सरकार नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें सामाजिक बुराइयों से दूर रखा जा सके।

स्कूल ड्रॉपआउट दर को रोकने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि नशे के संवेदनशील क्षेत्रों और समूहों में, शिक्षा विभाग को उचित उपाय करने और इसकी जांच करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर करियर काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

इस मौके पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

## संपादकीय

# फर्जी की मर्जी पर अंकुश

डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से झूठ को सच बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इस तरह के भ्रमित करने वाली सामग्री प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले नियमों को सख्त बनाया जा रहा है। जिससे डिजिटल कंपनियों और प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खासकर डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से निर्मित सामग्री के संबंध में। दरअसल, ये नवीनतम बदलाव उन शिकायतों के बाद किए गए हैं जिसमें एआई बॉट द्वारा पथभ्रष्ट करने वाली उत्तेजक छवियों के निर्माण करने के आरोप लगे हैं। जिसके खिलाफ दुनिया के कई देशों ने भी सख्त कदम उठाए हैं। उल्लेखनीय है कि आईटी के नये नियम बीस फरवरी से लागू होंगे। इसके बाद एआई के जरिये निर्मित सामग्री पर इस बात का लेबल लगाना जरूरी होगा कि उसे कृत्रिम रूप से गढ़ा गया है। साथ ही प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं को भरोसा दिलाना होगा कि साझा की जा रही सामग्री एआई द्वारा निर्मित है या नहीं। ऐसे वक्त में जब लोगों की संवेदनाओं और भरोसे से खिलवाड़ का खेल द्रुत गति से जारी है, केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया यह जरूरी कदम कहा जा सकता है। सरकार ने नये प्रावधानों में निर्देश दिया है कि किसी भी अवैध या भ्रामक एआई जनित सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा या फिर ब्लॉक करना होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यह हटाने की समय सीमा 36 घंटे थी। हालांकि, इस तरह सख्त नियमों के जरिये सोशल मीडिया का नियमन खासा जटिल कार्य है। इस आदेश की जटिल कार्यप्रणाली के अतिरिक्त,यह सवाल भी विवाद का विषय बना हुआ कि ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री किसे माना जाए। साथ ही यह भी कि क्या स्वीकार्य है? यदि हां तो किस आधार पर? वहीं दूसरी ओर इसके बहाने सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की चिंताएं भी बरकरार हैं। सही मायनों में, लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त स्वतंत्र अभिव्यक्ति से जुड़ी इन चिंताओं का निराकरण भी जरूरी है।

निस्संदेह दुनिया में जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजिटल क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, वैसे-वैसे ही प्रभावी नियामक नियंत्रण स्थापित करना एक कठिन चुनौती बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एआई उद्योग के लिये भी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी तकनीकों के विस्तार के साथ-साथ नैतिक ढांचों को बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एक प्रमुख कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता का विवादास्पद परियोजनाओं की अनियंत्रित गति से असहमति जताते हुए त्यागपत्र देना तकनीकी प्रगति की छलांग लगाती गति के दुष्परिणामों को ही उजागर करता है। निर्विवाद रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनित स्पर्धा के दौर में नैतिक दुविधा स्पष्ट है। साथ ही इसका कोई कारगर समाधान शीघ्र नजर भी नहीं आता। इस संकट से विकासशील देश ही नहीं, विकसित देश भी गहरे तक जूझ रहे हैं। आस्ट्रेलिया व फ्रांस आदि देशों में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच के लिये एक ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हो गया है। सोशल मीडिया कारोबार में दोनों हाथों से मुनाफा बटोरने वाली कंपनियों के देश अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर लोगों को लत लगाने वाली मशीनें बनाने के आरोप लग रहे हैं। इस बाबत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विशेषज्ञ की टिप्पणी है- हम देख रहे हैं कि अधिकाधिक युवा न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि शारीरिक पीड़ा का भी अनुभव करते हैं, जब उनसे फोन आदि उपकरण ले लिए जाते हैं। कमोबेश यही स्थिति भारत समेत तमाम विकासशील देशों में भी बनी हुई है। इस संकट का कोई स्थायी समाधान विश्व भर के लिये प्रासंगिक हो सकता है। निस्संदेह, इस बेहद घातक तकनीक आक्रमण से निबटना लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। निर्विवाद रूप से असली-नकली के भ्रम से जूझते उपयोगकर्ताओं की संवेदनाओं से खिलवाड़ का सिलसिला नियंत्रित होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर डीपफेक से धोखाधड़ी-गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरों को नियंत्रित करने के लिये सख्त नियम के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के संचालकों को जवाबदेह बनाना भी जरूरी है।

# सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक बदलाव के प्रेरणास्त्रोत

> आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद के विचारों में धर्म, विज्ञान, समाज सुधार और राष्ट्रवाद का समन्वय था। अंग्रेजी राज के दौरान उन्होंने वेद, स्वदेशी, नारी शिक्षा व समानता का समर्थन किया वहीं अंधविश्वास व जातिप्रथा का विरोध किया। आज भी उनके विचार प्रासंगिक व प्रेरक हैं।

महर्षि दयानंद सरस्वती ने जीवन भर हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई। इस संन्यासी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान भी भारतीय संस्कृति की रक्षा की और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हालांकि, सुधारवादी विचारों के चलते उनके कुछ शत्रु भी बन गये। 30 अक्तूबर, 1883 को अजमेर में उनकी हत्या कर दी गई, संभवतः जहर देकर। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज फला-फूला और आज दुनिया में लाखों अनुयायी हैं।

21वीं सदी में, जब दुनिया वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और सामाजिक परिवर्तनों से गुजर रही है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं व मार्गदर्शक का काम करते हैं। सबसे पहले, दयानंद सरस्वती ने महिलाओं को शिक्षा और समान अधिकार देने की बात की, जिसकी आज भी देश में लैंगिक असमानता के खिलाफ लड़ाई में प्रासंगिकता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में जेंडर इक्वेलिटी शामिल है, और दयानंद के विचार इस दिशा में प्रेरक हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध किया, जो आज भी कानूनी और सामाजिक मुद्दे हैं। महर्षि दयानंद ने शिक्षा पर बल दिया व उसे हरेक जाति और महिला-पुरुषों सभी के लिए अनिवार्य बताया। आज के भारत में, जहां साक्षरता दर बढ़ रही है लेकिन गुणवत्ता में कमी है, उनके वैदिक शिक्षा के मॉडल उपयोगी हैं जो नैतिकता, विज्ञान और तर्क पर आधारित हैं। आर्य समाज द्वारा स्थापित डीएवी स्कूल आज भी शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, जो उनके विचारों की व्यावहारिकता का प्रमाण हैं। तीसरा, दयानंद सरस्वती ने कहा कि जन्म से नहीं, कर्म से जाति निर्धारित होती है।



आज भारत में आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों में यह विचार प्रासंगिक है। समाज के वंचित-पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए उनके जैसे सुधार आवश्यक हैं, जो समावेशी समाज की नींव रखते हैं।

चौथा, उन्होंने अंधविश्वासों को खारिज किया और तर्कपूर्ण जांच को प्रोत्साहित किया। आज के युग में, जब फेक न्यूज और स्यूडो-साइंस फैल रहे हैं, उनकी 'सत्यार्थ प्रकाश' जैसी रचनाएं तार्किक सोच सिखाती हैं। उन्होंने वेदों को विज्ञान से जोड़ा, जो आधुनिक हिंदू राष्ट्रवादियों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा है। मसलन, पर्यावरण संरक्षण के लिए वेदों के सिद्धांत आज क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हैं।

पांचवां, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनरुत्थान। ऋषि दयानंद ने स्वदेशी और भारतीय संस्कृति की रक्षा की बात की, जो स्वतंत्रता संग्राम में प्रभावी साबित हुई। आज देश में जहां सांस्कृतिक पहचान और वैश्वीकरण का टकराव है, उनके विचार एकता और गौरव की भावना जगाते हैं। आर्य समाज के जरिये धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया, जो बहुलवादी भारत के लिए जरूरी है।

दयानंद सरस्वती के विचार न केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, बल्कि आधुनिक चुनौतियों के मुकाबले के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। सामाजिक न्याय, शिक्षा, लैंगिक समानता और तर्कपूर्ण सोच जैसे उनके सिद्धांत आज भी दुनिया को बेहतर बनाने में मददगार हैं। उनकी विरासत आर्य समाज के रूप में जीवित है, जो हमें याद दिलाती है कि सत्य की खोज कभी पुरानी नहीं होती। दयानंद सरस्वती जैसे सुधारक प्रेरित करते हैं कि परिवर्तन स्वयं व्यक्ति से शुरू होता है और समाज को बदल सकता है।

दयानंद सरस्वती ने पूरे भारत का भ्रमण कर विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और वेदों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने योगी और संन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत किया। वर्ष 1860 में संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती नाम धारण किया। उनका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म को उसके मूल रूप में लौटाना, जो वेदों पर आधारित था। उनका मानना था कि वेद ईश्वर का शाश्वत ज्ञान हैं और वे विज्ञान, नैतिकता और सामाजिक न्याय के स्रोत हैं।

वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आर्य समाज एक ऐसा संगठन था, जो वेदों की वापसी का नारा देता था—'वेदों की ओर लौटो'। इस संगठन के जरिये उन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह की मनाही जैसी कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों की वकालत की, जो उस समय क्रांतिकारी विचार थे। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके तहत दूसरे मतों में परिवर्तित हुए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया जाता था। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन माना और लड़कों तथा लड़कियों दोनों के लिए वैदिक स्कूल स्थापित किए।

उनकी प्रमुख रचना 'सत्यार्थ प्रकाश' 1875 में प्रकाशित हुई, जो हिंदू धर्म की व्याख्या और अन्य मतों की आलोचना करती है। इस पुस्तक में उन्होंने वेदों को आधार बनाकर तर्क के साथ धर्म की स्थापना का विचार प्रतिपादित किया। महर्षि दयानंद ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर जोर दिया, साथ ही ब्रह्मचर्य और ईश्वर भक्ति को जीवन का मूल बताया। दयानंद सरस्वती के विचारों में विज्ञान और धर्म का समन्वय था; उन्होंने कहा कि वेदों में आधुनिक विज्ञान के बीज मौजूद हैं, जैसे कि पृथ्वी का गोलाकार होना और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत।

## प्रेरणा

# अंतर का आकाश: शांति की अनसुनी पुकार

एक प्राचीन नगर में एक प्रसिद्ध संत ठहरे हुए थे। वे किसी बड़े आश्रम या भव्य भवन में नहीं, बल्कि नगर के बाहर एक शांत उपवन में रहते थे। साधारण वस्त्र, शांत मुखमुद्रा और गहरी दृष्टि—उनकी उपस्थिति ही लोगों के मन को ठहरा देती थी। दूर-दूर से लोग अपनी जिज्ञासाएँ और समस्याएँ लेकर उनके पास आते, और किसी न किसी रूप में हल लेकर लौटते। उसी नगर में एक अत्यंत समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास विशाल कोठी, रथ-गाड़ियाँ, असंख्य नौकर-चाकर और व्यापार में अपार सफलता थी। समाज में उसका नाम था, सम्मान था, प्रभाव था। परंतु उसके भीतर एक अजीब-सी बेचैनी घर कर चुकी थी। रात को वह करवटें बदलता रहता। कभी उसे भविष्य की चिंता सताती, कभी व्यापार में संभावित हानि का भय, तो कभी यह डर कि कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए। बाहर से वह सफल था, भीतर से विखंडित। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह संत के पास जाएगा। वह साधारण वस्त्र पहनकर, बिना किसी दिखावे के उनके पास पहुँचा। संत उस समय एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। व्यापारी ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, "गुरुदेव, मेरे पास जीवन की हर सुविधा है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मार्ग दिखाइए।"

संत ने शांत नेत्रों से उसकी ओर देखा और पूछा, "तुम्हें क्या चाहिए—और अधिक धन या मन की विश्रांति?" व्यापारी ने तुरंत कहा, "मुझे शांति चाहिए। धन तो बहुत है, पर सुख नहीं।"

संत ने पास रखी एक खाली टोकरी उठाई। फिर उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि उसमें अलग-अलग पत्थर डाल दे। थोड़ी ही देर में टोकरी भर गई। संत ने व्यापारी से पूछा, "क्या इसमें और कुछ रखा जा सकता है?" व्यापारी बोला, "नहीं, अब इसमें स्थान नहीं है।"

तब संत ने छोटी-छोटी कंकड़ियाँ उठाईं और उन्हें टोकरी में डालने लगे। वे पत्थरों के बीच की जगह में समा गईं। संत मुस्कराए और बोले, "अब?" व्यापारी चुप रहा। फिर संत ने उसमें रेत डाली। रेत भी शेष स्थान में समा गई। अंत में उन्होंने उसमें पानी डाला। पानी भी भीतर उतर गया। व्यापारी यह सब ध्यान से देख रहा था। संत बोले, "यह तुम्हारा मन है। बड़े पत्थर तुम्हारी बड़ी इच्छाएँ हैं—धन, प्रतिष्ठा, प्रभाव। कंकड़ियाँ छोटी इच्छाएँ हैं—तुलना, प्रतिस्पर्धा, मान-सम्मान। रेत वे सूक्ष्म विचार हैं जो दिन-रात चलते रहते हैं। और पानी तुम्हारी चिंताएँ हैं, जो हर खाली स्थान को भर देती हैं। तुम कहते हो कि तुम्हें शांति चाहिए, पर तुम्हारे मन में पहले से इतना कुछ भरा है कि शांति के लिए अलग से स्थान नहीं बचा।"

व्यापारी ने धीरे से पूछा, "तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए?" संत ने उत्तर दिया, "त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का करो। पत्थर निकालने की जल्दी मत करो, पहले यह समझो कि कौन-सा पत्थर आवश्यक है और कौन-सा केवल भार है।" व्यापारी ने स्वीकार किया कि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है। उसे अपने लाभ से अधिक चिंता इस बात की रहती है कि कहीं कोई और उससे अधिक लाभ न कमा ले। वह अपने सम्मान को लेकर इतना सजग रहता है कि छोटी-सी आलोचना भी उसे बेचैन कर देती है। संत ने कहा, "तुम्हारी अशांति का मूल कारण भय है—खोने का भय, पीछे रह जाने का भय, असफल हो जाने का भय। जब तक भय रहेगा, शांति नहीं आ सकती। शांति विश्वास से जन्म लेती है—अपने पर, जीवन पर और उस व्यवस्था पर जो सबको संचालित करती है।" व्यापारी ने पूछा, "पर यह विश्वास आए कैसे?" संत ने उत्तर दिया, "प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बिताओ। बिना गणना, बिना योजना, बिना लक्ष्य के। अपने विचारों को आते-जाते देखो। उनसे लड़ो मत, उन्हें पकड़ो मत। धीरे-धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। वहीं से शांति की शुरुआत होती है।" संत ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, "आकाश को देखो। उसमें बादल आते हैं, जाते हैं। कभी काले, कभी सफेद, कभी घने। पर आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। तुम्हारा मन भी आकाश जैसा है। विचार और भावनाएँ बादलों की तरह हैं। तुम बादलों से अपनी पहचान जोड़ लेते हो, इसलिए हर परिवर्तन तुम्हें हिला देता है।"

व्यापारी के मन में जैसे कोई गाँठ खुल रही थी। उसने समझा कि वह अपने विचारों और उपलब्धियों से स्वयं को परिभाषित करता रहा है। यदि व्यापार बढ़ा तो वह प्रसन्न, यदि घटा तो निराश। उसकी खुशी और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर थे।

कुछ समय बाद उसने संत की बातों को जीवन में उतारना शुरू किया। उसने व्यापार छोड़ा नहीं, पर उसमें डूबना कम कर दिया। उसने प्रतिदिन ध्यान करना आरंभ किया। धीरे-धीरे उसने देखा कि उसके भीतर जो बेचैनी थी, वह कम होने लगी है। अब भी समस्याएँ आती थीं, पर वे उसे पहले जितना विचलित नहीं करती थीं।

उसने अपने धन का कुछ भाग समाज के कल्याण में लगाना शुरू किया। सेवा करते समय उसे एक अलग प्रकार की संतुष्टि मिली, जो व्यापारिक लाभ से भिन्न थी। उसे अनुभव हुआ कि जब वह केवल अपने लिए जीता था, तब मन संकुचित था; जब उसने दूसरों के लिए सोचना शुरू किया, तब मन विस्तृत हुआ।

कुछ महीनों बाद वह फिर संत के पास पहुँचा। उसने कहा, "गुरुदेव, अब समझ में आता है कि शांति बाहर की उपलब्धियों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आती है। जब मन में अनावश्यक भीड़ कम होती है, तब भीतर एक मौन-सा जन्म लेता है।"

संत ने कहा, "शांति कोई उपलब्धि नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे खोजने बाहर जाते हो, इसलिए वह दूर लगती है। जब तुम भीतर लौटते हो, तो पाते हो कि वह सदैव यहीं थी।" नगर के लोगों ने भी व्यापारी में परिवर्तन देखा। पहले वह त्वरित क्रोध में आ जाता था, अब संयमित था। पहले हर बात में लाभ-हानि देखता था, अब संबंधों को महत्व देता था। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान रहने लगी। यह कथा हमें बताती है कि शांति का रहस्य किसी विशेष स्थान, वस्तु या परिस्थिति में नहीं छिपा। वह इस बात में है कि हम अपने मन को कितना सजग और हल्का रखते हैं। जब हम भय, तुलना और अहंकार के बोझ को पहचान लेते हैं, तभी उन्हें धीरे-धीरे कम कर पाते हैं। और जब मन आकाश की तरह विस्तृत हो जाता है, तब उसमें उठने वाले हर विचार के बावजूद भीतर एक स्थिरता बनी रहती है।

# मनमानी रोकने वाले नए नियम

भारत का डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मशीनी कौशल (एआइ) में हुई प्रगति, खासकर आडियो, वीडियो और आडियो-वीडियो कंटेंट को बनाने और बदलने की तकनीक ने सूचना के सृजन, उपभोग और विश्वास के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। जहां ये तकनीक अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और लोगों तक पहुंच को बढ़ाती हैं, वहीं ये ऐसे नए खतरे भी पैदा करती हैं जो सीधे तौर पर व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी से पैदा होने वाली खास चुनौतियों को समझते हुए भारत सरकार ने डिजिटल मध्यस्थों (डिजिटल इंटरमीडियरी) से जुड़े कानून और नीतिगत ढांचे को और मजबूत किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में किए गए हालिया संशोधन और नवंबर 2025 में इंडिया एआइ मिशन के तहत जारी भारत की एआइ गवर्नेंस गाइडलाइंस, 2025-दोनों को साथ पढ़ने पर सरकार का एक संतुलित और स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आता है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक नुकसान से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी जिम्मेदारियां तय की गई हैं और साथ ही जिम्मेदार तरीके से एआइ को अपनाने के लिए नीतिगत सिद्धांत भी तय किए गए हैं।

हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए ये सभी नियम और दिशानिर्देश मिलकर सरकार की एक साफ मंशा दिखाते हैं-तकनीक का विकास ऐसा हो, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक की गरिमा को बनाए रखने वाले ढांचे के भीतर ही आगे बढ़े। संशोधित इंटरमीडियरी नियमों में पहली बार कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी की एक साफ और व्यावहारिक परिभाषा दी गई है। इसमें वह कंटेंट शामिल है जो इस तरह बनाया या बदला गया हो कि वह असली जैसा लगे या हकीकत से अलग पहचान में न आए, लेकिन इसमें सामान्य और ईमानदार कामों को साफ तौर पर बाहर रखा गया है-जैसे तकनीकी एडिटिंग, दिव्यांगों की सुविधा के लिए किए गए बदलाव, पढ़ाई या शोध से जुड़ी सामग्री और वैध रचनात्मक उपयोग।

इससे यह सुनिश्चित होता है कि डिजिटल नुकसान के नए तरीकों से मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर ही निपटा जाए, न कि उसे अनौपचारिक या प्लेटफार्म की अपनी माडरेशन व्यवस्था पर छोड़ दिया जाए। इतना ही महत्वपूर्ण यह स्पष्टीकरण है कि मध्यस्थों द्वारा स्वचालित उपकरणों या अन्य उचित तकनीकी उपायों के माध्यम से सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाइयां वैधानिक सुरक्षा को कमजोर नहीं करती हैं। इससे जवाबदेही बनाए रखते हुए अनुपालन को बढ़ावा देने वाला परिवेश मजबूत होता है।

संशोधित ढांचे में सबसे बड़ा और अहम बदलाव यह है कि अब सिर्फ नुकसान होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय, पहले से ही रोकथाम पर जोर दिया गया है। जो डिजिटल प्लेटफार्म कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को बनाने या फैलाने में मदद करते हैं, उन्हें ऐसे तकनीकी उपाय अपनाने होंगे, ताकि गैर-कानूनी कंटेंट के बनते समय या फैलते समय ही रोका जा सके। अगर कृत्रिम रूप से बनाया गया कंटेंट कानूनी है तो उस पर साफ और स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, तकनीकी रूप से संभव होने पर उसके साथ स्थायी मेटाडाटा या स्रोत पहचान से जुड़ी व्यवस्था भी करनी होगी, ताकि यह पता चल सके कि वह कंटेंट कहां से आया है।

इन लेबल या पहचान से जुड़े चिह्नों को हटाना, बदलना या छिपाना साफ तौर पर प्रतिबंधित होगा। इसमें केवल नुकसान हो जाने के बाद कंटेंट हटाने पर भरोसा नहीं किया गया है, बल्कि पारदर्शिता को नागरिक की गरिमा और भरोसे की सुरक्षा के रूप में देखा गया है। अब नागरिकों को सिर्फ शिकायत करने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, बल्कि वे उसी समय यह पहचान भी कर सकेंगे कि कोई कंटेंट असली है या नहीं। यह नागरिकों के 'जानने के अधिकार' को मान्यता देने जैसा है। अब डिजिटल प्लेटफार्म को समय-समय पर और साफ भाषा में यूजर्स को उनके अधिकार, जिम्मेदारियां और नियम न मानने पर होने वाले परिणामों के बारे में बताते रहना होगा।

बड़े और प्रभावशाली इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के लिए नियमों में अतिरिक्त जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जो उनके आकार और प्रभाव के हिसाब से हैं। अगर कोई प्लेटफार्म नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे चूक माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिन प्लेटफार्म का समाज पर ज्यादा और व्यापक असर है, उन पर शासन और निगरानी की जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी।

कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाले इन नियमों के साथ-साथ, इंडिया एआइ गवर्नेंस गाइडलाइंस, 2025 एआइ को जिम्मेदार, सुरक्षित और सभी को साथ लेकर अपनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा बताती हैं। ये गाइडलाइंस आइटी एक्ट या इंटरमीडियरी नियमों की कानूनी जिम्मेदारियों को खत्म नहीं करतीं, बल्कि ये डेवलपर्स, एआइ सिस्टम लागू करने वालों और संस्थानों को दिशा देने का काम करती हैं। फिलहाल जो ढांचा बनाया गया है, वह संतुलित नियमों और नीतिगत दिशानिर्देशों पर टिका है, पर यदि जनहित में जरूरत पड़ी, तो संसद के पास बदलती तकनीकी परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाने का पूरा अधिकार बना हुआ है।

## अभियान

# पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर से उभरेगा आस्था और विकास का संगम

अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देशभर में धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास और सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा मिली है। जिस प्रकार अयोध्या ने आध्यात्मिक आस्था के साथ-साथ आर्थिक और पर्यटन विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया, उसी क्रम में अब बिहार के सीतामढ़ी जिले का पुनौरा धाम राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यही वह पावन स्थल है जहां माता सीता का अवतरण हुआ था। अब यहां मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की व्यापक योजना ने मिथिला ही नहीं, बल्कि पूरे देश के श्रद्धालुओं में उत्साह भर दिया है।

सीतामढ़ी का नाम लेते ही रामायण काल की स्मृतियां जीवंत हो उठती हैं। मिथिला नरेश जनक की राजधानी, सीता स्वयंवर की कथा, और त्याग व धैर्य की प्रतिमूर्ति माता सीता की जीवनगाथा—ये सब इस क्षेत्र की पहचान का हिस्सा हैं। पुनौरा धाम को माता सीता की जन्मस्थली के रूप में विशेष श्रद्धा प्राप्त है। वर्षों से यहां श्रद्धालु आते रहे हैं, परंतु अब इसे एक सुव्यवस्थित, विशाल और आधुनिक सुविधाओं से युक्त मंदिर परिसर के रूप में विकसित करने की तैयारी ने इस स्थान को नई संभावनाओं से जोड़ दिया है।

प्रस्तावित मां जानकी मंदिर का निर्माण पारंपरिक भारतीय मंदिर वास्तुकला और आधुनिक तकनीक के समन्वय से किया जाएगा। मंदिर का प्रारूप तय हो चुका है और इसे भव्य, दिव्य तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्वरूप देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अनुमान है कि संपूर्ण निर्माण कार्य लगभग 42 महीनों, यानी करीब साढ़े तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस अवधि में चरणबद्ध तरीके से भूमि विकास, आधारभूत संरचना निर्माण और मुख्य मंदिर के निर्माण का कार्य संपन्न होगा।

मंदिर परिसर केवल पूजा-अर्चना का स्थान नहीं होगा, बल्कि इसे एक समग्र आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां विशाल प्रांगण, यज्ञशाला, ध्यान केंद्र, सत्संग भवन, संग्रहालय, धर्मशाला, प्रसाद वितरण केंद्र और आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्राम स्थलों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा, स्वच्छता और डिजिटल प्रबंधन प्रणाली पर भी विशेष बल दिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुव्यवस्थित दर्शन का अनुभव मिल सके।

मंदिर निर्माण के लिए भूमि सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जिन क्षेत्रों में पूर्व में जलजमाव या आधारभूत ढांचे की समस्या थी, वहां सुधार कार्य तेजी से किया गया है। मुख्य मार्गों की मरम्मत और चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है ताकि श्रद्धालुओं को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जल निकासी की समुचित व्यवस्था और प्रकाश प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इन प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि निर्माण कार्य बिना बाधा के आगे बढ़ सके। अतिक्रमण हटाने और सरकारी भूमि को संरक्षित करने की प्रक्रिया भी प्रशासनिक स्तर पर चल रही है। किसी भी बड़े धार्मिक परियोजना की सफलता के लिए भूमि प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंदिर परिसर का विकास नियोजित ढंग से हो और भविष्य में विस्तार की संभावनाएं भी बनी रहें। प्रारंभिक चरण के कार्यों को छह महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद मुख्य संरचना निर्माण गति पकड़ेगा। धार्मिक दृष्टि से यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता सीता भारतीय संस्कृति में मर्यादा, करुणा, त्याग और शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। उनका जीवन केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आदर्श नारीत्व और धैर्य का उदाहरण है। ऐसे में उनकी जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण श्रद्धालुओं के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह मंदिर केवल एक स्थापत्य संरचना नहीं होगा, बल्कि आस्था, संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतीक बनेगा।

आर्थिक दृष्टि से भी यह परियोजना क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद जिस प्रकार पर्यटन, होटल उद्योग, परिवहन और स्थानीय व्यापार में वृद्धि देखी गई, वैसी ही संभावनाएं सीतामढ़ी में भी देखी जा रही हैं। मंदिर निर्माण के दौरान प्रत्यक्ष रूप से हजारों श्रमिकों और कारीगरों को रोजगार मिलेगा, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन, खानपान, हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को भी अवसर प्राप्त होंगे।

मिथिला क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग, लोकगीत, पारंपरिक परिधान और रीति-रिवाज यहां की पहचान हैं। मंदिर के विकसित होने से इन सांस्कृतिक धरोहरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच मिल सकता है। श्रद्धालु जब यहां आएंगे, तो वे केवल दर्शन ही नहीं करेंगे, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक समृद्धि से भी परिचित होंगे। इससे स्थानीय कला और शिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा।

पर्यटन के विस्तार के साथ आधारभूत ढांचे का विकास भी अपेक्षित है। बेहतर सड़क संपर्क, रेलवे और बस सेवाओं का विस्तार, स्वच्छता अभियान और स्थानीय बाजारों का आधुनिकीकरण—ये सभी पहलू क्षेत्र की समग्र प्रगति में सहायक होंगे। यदि योजनाओं को संतुलित और पारदर्शी ढंग से लागू किया जाता है, तो सीतामढ़ी एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है।

पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में हरित क्षेत्र विकसित करने, वर्षा जल संचयन प्रणाली और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस पवित्र स्थल की गरिमा का अनुभव कर सकें। सतत विकास की दृष्टि से यह परियोजना एक उदाहरण बन सकती है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी इस परियोजना की सफलता का महत्वपूर्ण तत्व है। जब समाज स्वयं विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनता है, तो परियोजना अधिक प्रभावी और स्थायी होती है। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने सहयोग की इच्छा व्यक्त की है। इससे न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक समन्वय भी मजबूत होगा।

आने वाले वर्षों में यदि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण हो जाता है, तो पुनौरा धाम राष्ट्रीय धार्मिक मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर सकता है। अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह यह भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। इससे बिहार की छवि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में और सुदृढ़ होगी।

समग्र रूप से देखा जाए तो मां जानकी मंदिर का निर्माण आस्था और विकास का संगम है। यह परियोजना न केवल धार्मिक भावनाओं को सशक्त करेगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता को भी नई दिशा दे सकती है। साढ़े तीन वर्षों की प्रस्तावित अवधि के बाद जब यह मंदिर पूर्ण स्वरूप में सामने आएगा, तो संभव है कि सीतामढ़ी का नाम देश-विदेश में नई पहचान के साथ लिया जाए।

मिथिला की पावन धरती पर आरंभ हुआ यह प्रयास केवल एक मंदिर निर्माण की योजना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की कहानी है। आने वाला समय बताएगा कि यह पहल किस प्रकार श्रद्धा, परंपरा और आधुनिक विकास को एक सूत्र में पिरोकर एक नई मिसाल स्थापित करती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

# गुजरात के नपा क्षेत्रों में उजड़े पड़े उद्यानों की बदल रही है सूरत : विकसित हो रहे हैं नंदन वन जैसे हरित उद्यान, जहां शहरीजन बिता सकते हैं सुकून भरे पल

- अमृत 2.0 के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में 117.56 करोड़ रुपए के खर्च से 131 उद्यान विकसित हो रहे हैं, जिनमें से 70 उद्यानों का विकास कार्य हुआ पूर्ण
- लाठी नपा में 1.26 करोड़ रुपए के खर्च से भवानी गार्डन का हुआ सौंदर्यीकरण, जबकि पालनपुर नपा में 2.25 करोड़ रुपए से कैलास वाटिका का पुनर्विकास
- बाग-बगीचों और खुले स्थानों के विकास से शहरी हवा की गुणवत्ता सुधारने और हरित आवरण को बढ़ाने का उद्देश्य

**जीएनएस)।** गांधीनगर : भारत के शहरों को जल सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 1 अक्टूबर, 2021 को अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना शुरू की गई थी। इस मिशन की मुख्य पहलों में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) में कमी करना और शुद्ध किए गए अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इसके साथ ही, यह मिशन शहरी क्षेत्रों की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए अच्छी तरह से बनाए हुए हरित स्थानों और उद्यानों के विकास पर भी बल देता है।

गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य के नगर पालिका क्षेत्रों में अमृत 2.0 के अंतर्गत हरित स्थानों और बाग-बगीचों का विकास किया जा रहा है। गुजरात की विभिन्न नगर पालिकाओं में उजड़े पड़े उद्यानों के पुनर्विकास के साथ-साथ नए बाग-बगीचे भी विकसित किए जा रहे हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण लाठी नगर पालिका में विकसित किया गया भवानी गार्डन है। इस भवानी गार्डन को पुनर्विकसित कर नंदन वन जैसा मनोरम, भव्य और हरा-भरा बगीचा बनाया गया है, जिसका आज लाठी के नागरिक भरपूर आनंद उठा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि अमृत 2.0 के तहत राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में 117.56 करोड़ रुपए के खर्च से कुल 131 उद्यान विकसित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 70 का विकास कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष 61 उद्यानों को विकसित करने का कार्य अभी प्रगति पर है।






लाठी नगरपालिकानो भवानी गार्डन

## 1.26 करोड़ रुपए के खर्च से लाठी में भवानी गार्डन का हुआ कायापलट

लाठी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भवानी गार्डन उजड़ गया था, स्थानीय लोग इसका कोई उपयोग नहीं करते थे। अमृत 2.0 योजना के तहत राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने इस उद्यान को पुनर्विकसित करने का निर्णय किया। आज भवानी गार्डन की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। लाठी नगर पालिका में भवानी गार्डन का सौंदर्यीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामुदायिक पहल है, जिसका उद्देश्य उद्यान के पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) संतुलन को पुनः स्थापित करना और इसकी सुंदरता को बढ़ाकर इसे आकर्षक बनाना है। बगीचे में जो पेड़ पहले से थे, उन्हें बचाकर रखा गया है, और वॉक-वे तथा बगीचे के आसपास देसी प्रजाति के पेड़ लगाए गए हैं, ताकि प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए प्राकृतिक निवासस्थान बनाया जा सके। इस बगीचे का विकास हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के लिए भी स्थल विकसित किए गए हैं। इसमें खुला लॉन एरिया, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, ओपन जिम एरिया यानी शारीरिक कसरत करने का क्षेत्र तथा योग एवं नॉलेज सेंटर शामिल हैं। उद्यान के मध्य में श्वेत अश्वों की एक आकर्षक फव्वारे वाली मूर्ति भी बनाई गई है, जो इस बगीचे के सौंदर्य को और बढ़ाती है। समूचे भवानी गार्डन को 1.26 करोड़ रुपए के खर्च से 10,936.35 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिससे लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं।



पालनपुरनो कैलास वाटिका गार्डन

## 2.25 करोड़ रुपए के खर्च से पालनपुर नपा में कैलास वाटिका गार्डन का पुनर्विकास



पालनपुर नगर पालिका में लोगों के मनोरंजन के लिए 2.25 करोड़ रुपए के खर्च से 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में कैलास वाटिका का पुनर्विकास किया गया है। इस बगीचे में नागरिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिनमें बच्चों के खेलने का क्षेत्र और उसके सामान, दिव्यांगों के लिए विशिष्ट सुविधाएं, गजेबो और बैठक व्यवस्था आदि शामिल हैं। कैलास वाटिका आज पालनपुर के लोगों के लिए नंदन वन बन गया है। इसी प्रकार, विभिन्न नगर पालिका क्षेत्रों में लगभग 70 बगीचों को शहरीजनों के लिए विकसित किया गया है, जबकि अन्य 61 बगीचों का काम प्रगति पर है। अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में ऐसे हरित क्षेत्र बनाने का उद्देश्य टिकाऊ, समावेशी और समुदाय-केंद्रित शहरी वातावरण को बढ़ावा देना और शहरीजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके साथ ही, ऐसे बगीचे शहरी हवा की गुणवत्ता को भी और बेहतर बनाते हैं, और घने शहरी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को पुनः स्थापित करने में मदद करते हैं। देसी पौधों और पेड़ों के एकीकरण द्वारा यह हरित क्षेत्र स्थानीय जैव विविधता का समर्थन करते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए कम पानी एवं रखरखाव की जरूरत होती है। कुल मिलाकर, अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन से गुजरात के शहरी जीवन में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है, जिससे शहरों और नगरों में स्थिरता, लचीलेपन और खुशहाली को बढ़ावा मिला है।

# महाशिवरात्रि मेला के अवसर पर भावनगर टर्मिनस–वेरावल के बीच विशेष किराये पर चलेगी "महाशिवरात्रि मेला स्पेशल" ट्रेन

**जीएनएस)।** महाशिवरात्रि मेला के दौरान होने वाली अतिरिक्त यात्री भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष किराये पर कुल 04 जोड़ी "महाशिवरात्रि मेला स्पेशल" ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, ट्रेन संख्या 09581 वेरावल–भावनगर टर्मिनस स्पेशल के संचालन दिनों में आंशिक परिवर्तन किया गया है, पहले इसे 13.02.2026 से 17.02.2026 बताया गया था, जिसे संशोधित करते हुए इसे 14.02.2026 से 18.02.2026 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—





ट्रेन संख्या 09581 वेरावल–भावनगर टर्मिनस स्पेशल यह ट्रेन वेरावल से सुबह 06:50 बजे प्रस्थान कर दोपहर 14:00 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 14.02.2026 से 18.02.2026 तक संचालित की जाएगी। ट्रेन संख्या 09582 भावनगर टर्मिनस–वेरावल स्पेशल वापसी दिशा में यह ट्रेन भावनगर टर्मिनस से दोपहर 14:50 बजे प्रस्थान कर रात्रि 21:35 बजे वेरावल पहुंचेगी। यह ट्रेन 13.02.2026 से 17.02.2026 तक संचालित की जाएगी।

उक्त ट्रेनें दोनों दिशाओं में केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, जेतपुर, कुंकावाव, लाठी, ढसा, धोला, सिहोर एवं भावनगर परा स्टेशनों पर ठहराव करेंगी।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की समय-सारिणी की पुष्टि अवश्य कर लें, रेलवे द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें तथा स्टेशन एवं ट्रेनों में स्वच्छता एवं व्यवस्था बनाए रखने में रेलवे का सहयोग करें।

# भारत भर में 164 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चालू; 274 जिलों में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा

## गुजरात से संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को यात्रियों का शानदार प्रतिसाद,13 महीनों में 32 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर

**जीएनएस)।** भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस ने फरवरी 2019 में मात्र एक सेवा से अपनी शुरुआत की थी और आज यह 164 ट्रेनों के सशक्त नेटवर्क के रूप में देश के प्रमुख शहरों को जोड़ रही है। विश्वस्तरीय वंदे भारत सेवाएं तेज़, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का नया मानक स्थापित कर रही हैं। इनकी बढ़ती लोकप्रियता यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या से स्पष्ट है।

गुजरात से संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं ने भारतीय रेल के आधुनिकीकरण एवं यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक की 13 माह की अवधि में गुजरात से चलने वाली 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को यात्रियों का अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला है। इस अवधि में लगभग 32 लाख यात्रियों ने इन प्रीमियम ट्रेनों से यात्रा की।



इन सेवाओं में न केवल यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, बल्कि कई मार्गों पर मांग क्षमता से कहीं अधिक, मुंबई-अहमदाबाद-मुंबई के बीच लगभग 140% तक ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है, यह लोकप्रियता को दर्शाती है। अहमदाबाद-ओखा के बीच ऑक्यूपेंसी लगभग 90% रही है, साबरमती-जोधपुर के बीच ऑक्यूपेंसी 81% से अधिक रही है।

अहमदाबाद-मुंबई वंदे भारत ट्रेन सेवा कई यात्रियों की पहली पसंदीदा विकल्प बन गई है। पेशेवरों, व्यावसायिक और नियमित यात्रियों के द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह सेवा भारत के दो प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्रों को जोड़ती है।

मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित, प्रत्येक ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इनमें स्वचालित प्लग वाले दरवाजे , घूमने वाली सीटें और बायो-वैक्यूम शौचालय शामिल हैं। इनमें जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली और पूर्ण सीसीटीवी कवरेज भी है। ये सुविधाएं प्रत्येक यात्री के लिए विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव सुनिश्चित करती हैं।

**विश्वस्तरीय सुविधाएं:**
- आधुनिक एवं एर्गोनॉमिक डिजाइन वाले कोच
- आरामदायक रीक्लाइनिंग सीटें और पर्याप्त लेगरूम
- स्वचालित दरवाजे एवं जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली
- मोबाइल चार्जिंग पॉइंट एवं ऑनबोर्ड इन्फोटेनमेंट

**उत्कृष्ट ऑनबोर्ड खान-पान सेवाएं:**
- स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त ताजा भोजन
- क्षेत्रीय स्वाद पर आधारित विविध मेन्यू
- प्री-पैक्ड हाइजीनिक सर्विस
- प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा समयबद्ध सेवा

उच्च समयपालन, बेहतर सुरक्षा मानक और उत्कृष्ट स्वच्छता ने यात्रियों का विश्वास और मजबूत किया है। उच्च गति क्षमता के कारण ये ट्रेनें कम समय में लंबी दूरी तय कर व्यवसायिक एवं अवकाश यात्रियों दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही हैं।

गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन भारतीय रेल के यात्री-केंद्रित दृष्टिकोण का सशक्त प्रमाण है। ये ट्रेनें राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल यात्रा का नया मानक स्थापित कर रही हैं। भारतीय रेल भविष्य में भी यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

# सोना वायदा में 793 रुपये, चांदी वायदा में 3779 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 47 रुपये की गिरावट

**जीएनएस)।** मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 126846.23 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 18149.93 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 108692.87 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 39289 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2344.35 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 12335.46 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 158000 रुपये के भाव पर खूलकर, 158747 रुपये के दिन के उच्च और 157700 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 158755 रुपये के पिछले बंद के सामने 793 रुपये या 0.5 फीसदी गिरकर 157962 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 275 रुपये या 0.21 फीसदी गिरकर 128952 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 19 रुपये या 0.12 फीसदी गिरकर 16159 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी मार्च वायदा 156201 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 156625 रुपये और नीचे में 155500 रुपये पर पहुंचकर, 675 रुपये या 0.43 फीसदी गिरकर 155910 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 159079 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159480 रुपये और नीचे में 158148 रुपये पर पहुंचकर, 159234 रुपये के पिछले बंद के सामने 429 रुपये या 0.27 फीसदी गिरकर 158805 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 261361 रुपये के भाव पर खूलकर, 262775 रुपये के दिन के उच्च और 258730 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 263018 रुपये के पिछले बंद के सामने 3779 रुपये या 1.44 फीसदी लुढ़ककर 259239 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 3366 रुपये या 1.25 फीसदी की गिरावट के साथ 266629 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 3308 रुपये या 1.23 फीसदी गिरकर 266587 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।



**▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 18149.93 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 108692.87 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 12335.46 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39289 पॉइंट के स्तर पर**

मेटल वर्ग में 3460.03 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 5.8 रुपये या 0.46 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1253.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 25 पैसे या 0.08 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 329.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 1.2 रुपये या 0.38 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 315.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 10 पैसे या 0.05 फीसदी टूटकर 189.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2356.43 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5883 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5904 रुपये और नीचे में 5824 रुपये पर पहुंचकर, 47 रुपये या 0.8 फीसदी औंधकर 5849 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 48 रुपये या 0.81 फीसदी घटकर 5850 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 292.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 298.7 रुपये के दिन के उच्च और 288.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 288.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 6 रुपये या 2.08 फीसदी की मजबूती के साथ 294.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 6.1 रुपये या 2.11 फीसदी की तेजी के संग 294.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 959 रुपये पर खूलकर, 2.9 रुपये या 0.3 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 969.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 7190.81 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 5144.65 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2637.04 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 179.60 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 11.53 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 631.86 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 890.28 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1452.61 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9272 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 65722 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 32096 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 436624 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 56482 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8163 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19306 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 62612 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21531 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 22665 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 39470 पॉइंट पर खूलकर, 39537 के उच्च और 39284 के नीचले स्तर को छूकर, 568 पॉइंट घटकर 39289 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 41.4 रुपये की गिरावट के साथ 103.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.1 रुपये की बढ़त के साथ 20.4 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 658 रुपये की गिरावट के साथ 3395.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1390 रुपये की गिरावट के साथ 3900 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.84 रुपये की बढ़त के साथ 9.84 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 19 पैसे की नरमी के साथ 0.95 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 1.5 रुपये की बढ़त के साथ 103.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.55 रुपये की गिरावट के साथ 16.05 रुपये हुआ। सोना फरवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 19.5 रुपये की बढ़त के साथ 2910.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 34 रुपये की गिरावट के साथ 347.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 27 पैसे के सुधार के साथ 11.06 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 12 पैसे की नरमी के साथ 0.65 रुपये हुआ।

# गांधीधाम–आदीपुर खंड में चौहरीकरण एवं आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफल कमीशनिंग; क्षमता और सुरक्षा में होगी वृद्धि

**जीएनएस)।** पश्चिम रेलवे ने गांधीधाम–आदीपुर के बीच 8.96 किमी लंबे खंड पर चौहरीकरण तथा अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का कार्य सफलतापूर्वक कमीशन कर लिया है। इस कार्य के अंतर्गत गांधीधाम बी ब्लॉक केबिन एवं आदीपुर जंक्शन सहित तीन इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट (एलसी नं. 3, 3X एवं 4) को आईबीएस (Intermediate Block Signalling) के साथ जोड़ा गया है।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्राउंड ज़ीरो पर उपस्थित रहकर इस कार्य की निगरानी की। यह चौहरीकरण परियोजना का महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें नई लाइनों, सिग्नलिंग तथा प्वाइंट्स को सुरक्षित रूप से मौजूदा प्रणाली से एकीकृत किया गया। इस दौरान आवश्यक तकनीकी संशोधन और परीक्षण कर नई संरचना के सुरक्षित एवं निर्बाध संचालन को सुनिश्चित किया गया। यह उपलब्धि गांधीधाम–भुज सेक्शन में परिचालन दक्षता और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

**आदीपुर स्टेशन पर प्रमुख व्यवस्थाएं**

गांधीधाम–आदीपुर खंड के लिए क्योसान निर्मित (K5D मॉडल) नई डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) प्रणाली कमीशन की गई। इसमें 5 लाइनें एवं 1 सिक साइडिंग, 146 रूट, 56 ट्रैक, 18 मेन, 16 शंट और 5 कॉलिंग-ऑन सिग्नल, 28 पॉइंट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त AFDAS (Revel make), 2 ELD (Reliance make), 2 डेटा लॉगर (Efftronics) जिनमें 1024 डिजिटल एवं 32 एनालॉग इनपुट की क्षमता है, 2 IPS (Statcon Energiaa make) तथा FACS (Reliance make) की व्यवस्था की गई है। पॉइंट्स का पैरेलल ऑपरेशन तथा NDKR/RDKR सर्किट भी लागू किया गया है।

**गांधीधाम बी ब्लॉक केबिन में उन्नयन**

मौजूदा क्योसान (K5BMC मॉडल) डिस्ट्रीब्यूटेड EI प्रणाली में संशोधन एवं विस्तार कर इसे चौहरीकरण सेक्शन से जोड़ा गया। अब यहां 4 लाइनें (पूर्व में 3), 146 रूट (पूर्व में 70), 69 ट्रैक (पूर्व में 39), 27 मेन, 14 शंट एवं 4 कॉलिंग-ऑन सिग्नल तथा 39 पॉइंट्स (पूर्व में 23) उपलब्ध हैं। मौजूदा AFDAS, ELD, डेटा लॉगर, IPS एवं FACS का एकीकरण करते हुए NDKR/RDKR पॉइंट सर्किट लागू किए गए हैं।

**मुख्य लाभ**

इस उन्नयन से लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे अधिक यात्री एवं मालगाड़ियों का समानांतर संचालन संभव होगा और भीड़भाड़ में कमी आएगी। समयपालन में सुधार होगा तथा देरी और ठहराव कम होंगे। आधुनिक EI, AFDAS, डेटा लॉगर और इंटरलॉक्ड गेट से सुरक्षा स्तर मजबूत होगा। एकीकृत सिग्नलिंग एवं पैरेलल पॉइंट ऑपरेशन से परिचालन अधिक सुगम और निर्बाध बनेगा। गांधीधाम क्षेत्र प्रमुख फ्रेट हब होने के कारण बंदरगाहों एवं औद्योगिक क्षेत्रों को तेज और विश्वसनीय कनेक्टिविटी मिलेगी। यह भविष्य उन्मुख, विश्वसनीय और विस्तार योग्य ढांचा है। यह कमीशनिंग कांडला एवं मुंद्रा पोर्ट तथा प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के लिए अधिक कुशल और भरोसेमंद रेल संपर्क सुनिश्चित करेगी, जिससे क्षेत्रीय और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। यह परियोजना भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और यात्री व माल परिवहन दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। यह उन्नयन पश्चिम रेलवे की आधुनिकीकरण, सुरक्षा और क्षमता विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे क्षेत्र की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सकेगा।

# गुजरात के भुज में दीनदयाल पोर्ट पर मेगा कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कार्य प्रगति पर,डीआरएम अहमदाबाद सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण



**जीएनएस)।** गुजरात के भुज स्थित दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (कांडला) में विकसित किए जा रहे मेगा कंटेनर टर्मिनल के निर्माण कार्य का दिनांक 12.02.2026 को अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश, श्री नरेन्द्र पंवर, मुख्य माल भाड़ा परिवहन प्रबंधक, पश्चिम रेलवे, तथा गांधीधाम एवं अहमदाबाद मंडल के एरिया मैनेजर श्री आशीष धानीया द्वारा निरीक्षण किया गया। यह महत्वाकांक्षी परियोजना पश्चिम भारत के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को नई गति प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। निरीक्षण के दौरान परियोजना की निर्माण प्रगति, परिचालन तैयारियों एवं भावी क्षमता विस्तार की विस्तृत समीक्षा की गई। यह अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल लगभग 2.19 मिलियन TEU की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता का होगा। टर्मिनल पर लगभग 1100 मीटर लंबी बर्थ विकसित की जा रही है, जिससे बड़े एवं आधुनिक कंटेनर जहाज़ों का संचालन संभव हो सकेगा। यह परियोजना PPP मॉडल के अंतर्गत लगभग 4,200 करोड़ के निवेश से विकसित की जा रही है। डीआरएम अहमदाबाद के विजिट के दौरान पोर्ट–रेल कनेक्टिविटी, कंटेनर मूवमेंट, रेक हैंडलिंग क्षमता तथा भविष्य की लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही, भारतीय रेलवे द्वारा इस टर्मिनल को तेज़, सुरक्षित एवं निर्बाध रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। यह परियोजना दीनदयाल पोर्ट को एक सशक्त मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा भारतीय रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

**पश्चिम रेलवे**

**ई-निविदा सूचना**

निम्नलिखित स्टोर कार्य के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (स्टोर), रतलाम, पश्चिम रेलवे द्वारा ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा संख्या: 83246175A दिनांक: 09/02/2026. कार्य का नाम:** Design, manufacture, supply, installation, testing, commissioning and maintenance of g+1,20 Passenger /1360Kg capacity, as per RDSO specification No. RDSO/2013/EM/SPEC/0016(Rev-1)- 2019, CCTV in both landing & SMS alert system with two year warranty. Warranty period: 30 Months from date of supply. [**Inspection Agency:** TPI, **Stage Insp.**: No, **Stages:** 0] [**UVAM Linking:**] **Item Type:** Goods (supply) Provision of second door for Lifts Warranty period: 30 Months from date of supply. [ **Inspection Agency:** TPI, **Stage Insp.:** No, **Stages:** 0] [**UVAM Linking:** ] **Item Type:** Goods (supply). **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 7040999.82/- **निविदा दस्तावेज़ की लागत:** 0 (Zero). **बयाना राशि जमा:** ₹ 140820.00/- **ऑफर की वैधता (दिन):** Within 120 days thereafter. **ई-निविदा दस्तावेज़ जमा करने के लिए समापन का समय और तारीख:** 05-MAR-26 11.00, **ई-निविदा खोलने का समय और तारीख:** 05-MAR-26 11.30, निविदा को ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in पर ऑनलाइन देखा जा सकता है और प्रस्ताव उसी ई-निविदा पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। V/453

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें : x.com/WesternRly

# मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक महीने में दूसरी बार जालंधर पहुंचे लोक मिलनी के दौरान मौके पर ही किया शिकायतों का निपटारा

- भगवंत सिंह मान ने इस पहल को एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों के निपटारे का सबसे बेहतरीन ढंग बताया
- पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां राज्य का मुखिया जनता की भलाई सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल रहा है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- आप सरकार पंजाब के लोगों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- सरकार लोगों के प्रति हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- हम भविष्य में भी 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की शिकायतों का समाधान करते रहेंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जालंधर स्थित निवास स्थान पर 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं

**जीएनएस)**। चंडीगढ़। आम लोगों से सीधा संपर्क बनाए रखने संबंधी अपनी गतिविधियों को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जालंधर में अपने निवास स्थान पर 'लोक मिलनी' कार्यक्रम आयोजित कर यहां के नागरिकों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। इस पहल को एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य का मुखिया व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलकर उनके मुद्दों का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित करता है।

इस बात पर जोर देते हुए कि 'आप' सरकार पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ लोगों की हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनी कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच एक मजबूत पुल के रूप में काम करता है, जो जवाबदेह और पारदर्शी शासन को सुनिश्चित करता है, और इसे आगे भी इसी तरह जारी रखा जाएगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों का निपटारा करने और सुचारू शासन संबंधी जनता से फीडबैक लेने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में शायद ही कहीं ऐसी नागरिक-केंद्रित पहल देखने को मिले। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो आम जनता की भलाई के लिए ऐसी लोक-केंद्रित पहल कर रहा हो। उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड पर है कि लोक मिलनी कार्यक्रम समाज के हर वर्ग की शिकायतों के निपटारे में अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोक मिलनी वास्तव में एक अनोखी पहल है जहां सरकार लोगों की समस्याओं के योजनाबद्ध समाधान के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करती है।

इस पहल को पंजाब के लिए गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य का मुखिया जनता की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसी मुहिम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होता है। उन्होंने कहा कि जहां लोक मिलनी एक तरफ राज्य के सर्वांगीण विकास और लोगों की भलाई सुनिश्चित करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को अपने अधिकारियों की कार्यक्षमता के बारे में अच्छी तरह जानने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है क्योंकि किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने और उनके समाधान की कोशिश नहीं करते।

इस बात पर जोर देते हुए कि यह पहल पक्षपातपूर्ण विचारों से कहीं ऊपर की बात है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनियों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य राज्य और यहां के लोगों के विकास और खुशहाली को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि लोक मिलनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों के निपटारे का सबसे अच्छा माध्यम हैं, क्योंकि ये सरकार और जनता के बीच संचार के अंतराल को भरते हुए लोकतांत्रिक ढांचे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का बेहतरीन तरीका हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार लोगों की भलाई के लिए अथक मेहनत कर रही है, जिसके लिए राज्य में पहले ही कई प्रमुख पहल की जा चुकी हैं।

नौजवानों के सशक्तिकरण पर सरकार के ध्यान को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का काम नौजवानों के सपनों को पंख देना होता है ताकि वे जीवन में सफलता की नई कहानियां लिख सकें। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली हर फाइल आम आदमी और राज्य के लाभ के लिए होती है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को भ्रष्टाचार या सिफारिश के बिना 63,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर फैसला राज्य की तरक्की और यहां के लोगों की खुशहाली की ओर लक्षित होता है। शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य भर में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पूरी तरह सुसज्जित लैबोरेटरी और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए प्ले-ग्राउंड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की विशेषज्ञता को निखारने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों और प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आधुनिक शिक्षा अभ्यासों से परिचित होकर छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भविष्य के मुकाबलों के लिए तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब ने भारत सरकार द्वारा करवाए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे में केरल को भी पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के छात्रों को सशस्त्र बलों की परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ नीट, जेईई, क्लैट और एनआईएफटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के छात्रों ने जेईई मेन्स, जेईई एडवांस्ड और नीट परीक्षाओं में क्वालीफाई किया है। उन्होंने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में राज्य के सभी 65 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपये तक के नकद रहित इलाज के साथ मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहलों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना के तहत आय की कोई शर्त नहीं लगाई गई है और अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे पंजाब समग्र नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि 881 आम आदमी क्लीनिक रोजाना मुफ्त इलाज प्रदान कर रहे हैं और वर्ष 2022 में राज्य सरकार के सत्ता संभालने से लेकर राज्य के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली दी जा रही है।

किसानों के लिए सुविधाओं और मजबूत बुनियादी ढांचे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को दिन में भी आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 6900 किलोमीटर लंबाई वाले 18349 जल मार्गों को पुनर्जीवित कर टेल पर रहने वाले किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई सरकारी लाइब्रेरी खोली गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अच्छी पढ़ाई-लिखाई करके जीवन में ऊंचे मुकाम हासिल कर सकें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज पंजाब हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व पहलें की हैं। उन्होंने कहा कि 49,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण का काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा।

जनता के लिए राहत उपायों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं जिससे आम आदमी की जेब से टोल फीस के रोजाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य भर में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं जो लोगों को मुफ्त इलाज और दवाइयां प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक राज्य के लोगों से किया हर वादा पूरा किया है।

अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब राज्य सरकार राज्य की हर महिला को 1000 रुपये देने की योजना जल्द लागू करेगी, जिसके लिए आने वाले बजट में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों से किया गया हर वादा हर हाल में पूरा किया जाएगा क्योंकि हमारी सरकार सबकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र एजेंडा राज्य की तरक्की और यहां के लोगों की खुशहाली को सुनिश्चित करना है।

# लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ मोशन से सियासत गरमाई, सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक की मांग

**जीएनएस)**। नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान राजनीतिक तापमान उस समय और बढ़ गया जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक औपचारिक मोशन पेश किया। इस प्रस्ताव में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सदन में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। डॉ. दुबे ने सदन में कहा कि राहुल गांधी के बयान और गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतों के साथ मिलकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी आधार पर उन्होंने लोकसभा के नियम 352(5) और 353 के तहत यह मोशन पेश किया। उनके अनुसार, यदि कोई सदस्य संविधान की भावना और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य करता है, तो सदन को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। लोकसभा के नियम 352(5) और 353 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी सदस्य के आचरण की जांच कर उचित कार्रवाई की सिफारिश करे। हालांकि संसदीय विशेषज्ञों का कहना है कि किसी सांसद की सदस्यता रद्द करना एक गंभीर और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों और विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है। इस तरह का प्रस्ताव राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। सदन में प्रस्ताव रखे जाने के बाद कांग्रेस सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। विपक्ष का कहना है कि यह कदम राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछते रहे हैं और लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व ही सरकार को जवाबदेह बनाना होता है।

भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेता वानाथी श्रीनिवासन ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति करना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में एक पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा को लेकर जानबूझकर हंगामा खड़ा किया गया और इससे देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों को राजनीतिक रंग दिया गया। उनके अनुसार, विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए और संवेदनशील मामलों पर जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए।

वानाथी श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और ऐसे में विपक्ष के नेता को अपनी भूमिका की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी रही, तो इससे सदन की कार्यवाही प्रभावित होगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि पर भी असर पड़ेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ मोशन ने राजनीतिक विमर्श को और तीखा बना दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, सदस्यता रद्द करने जैसे कदम दुर्लभ होते हैं और सामान्यतः गंभीर कानूनी आधार की आवश्यकता होती है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी सांसद की अयोग्यता या सदस्यता समाप्त करने का निर्णय आमतौर पर जनप्रतिनिधित्व कानून और संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप लिया जाता है। सदन में प्रस्ताव पेश करना एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय विस्तृत विचार-विमर्श और कानूनी राय के बाद ही संभव होता है।

इस घटनाक्रम ने संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह बहस को जन्म दिया है। भाजपा जहां इसे राष्ट्रीय हित और संविधान की रक्षा का मुद्दा बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दे रही है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया में आगे बढ़ता है या राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहता है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि लोकसभा में पेश इस मोशन ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की रेखाएं और स्पष्ट हो गई हैं। संसद के आगामी सत्रों में इस विषय पर चर्चा और तीखी होने की संभावना है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।